संख्या- 03 /2026/आर0एफ0-450/नौ-9-2026/03-ई-1967480

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद बिसवां,
जनपद-सीतापुर।

नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ : दिनांक 13 अप्रैल, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-259/2024/975/001-ई-1869482, दिनांक-29.11.2024 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025-26 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना, अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में उक्त शासनादेश में उल्लिखित सी0सी0 रोड एवं आर0सी0सी0 नाली निर्माण कार्य हेतु नगर पालिका परिषद बिसवां, जनपद-सीतापुर को कुल लागत धनराशि रू0 95.36 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये उसके सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रू0 47.68 लाख अवमुक्त की गयी है।

2. उक्त धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी, जनपद-सीतापुर द्वारा अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने की संस्तुति की गयी है। जिलाधिकारी, जनपद-सीतापुर की उक्त संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना (ब्याज रहित ऋण) अनुदान संख्या 37 के अंतर्गत नगर पालिका परिषद बिसवां, जनपद-सीतापुर को द्वितीय किश्त की धनराशि रू0 **47.38** लाख (रूपये सैंतालीस लाख अड़तीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की मा0 राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-37, के लेखाशीर्षक "6215-जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज-02 मल जल तथा सफाई-**192**-नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-05-पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना-30-निवेश/ऋण" के नामे डाला जायेगा।

(2) संबंधित निकाय द्वारा चालू कार्यों हेतु स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि का बिल जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित कराया जायेगा, जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी निकाय के खाते में उक्त बिल के सापेक्ष धनराशि हस्तान्तरित की जानी सुनिश्चित करेंगे।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग <u>दिनांक-31 मार्च, 2026 तक</u> करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र कार्यालय, महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) निकाय प्रश्नगत परियोजनाएं पूर्ण कर उनका पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त कार्य को जनपयोगी बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(5) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-259/2024/975/001-ई-1869482, दिनांक-29.11.2024 में उल्लिखित शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(6) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि जिलाधिकारी प्रथम किश्त की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की जांच अपने स्तर से करा कर संतुष्ट हो लेंगे, तदोपरांत द्वितीय किश्त की धनराशि का उपभोग किया जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही द्वितीय किश्त की धनराशि से शासनादेश संख्या-864/नौ-9-20-एल0सी0/19, दिनांक- 19 जून, 2020 द्वारा भुगतान की गयी धनराशि (यदि कोई हो) की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 47.38 लाख (रूपये सैंतालीस लाख अड़तीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या-037 लेखाशीर्षक** 6215021920500 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
RAVINDRA SINGH
Date: 13-04-2026
15:49:39

भवदीय,

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- 03 /2026/आर0एफ0-450/नौ-9-2026/03-ई-1967480, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-सीतापुर।
6. कोषाधिकारी, जनपद-सीतापुर।
7. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-13/04/2026

प्रेषण संख्या:- 03
आवंटन आदेश संख्या:- 001-03-2026-RF-450-9-9-2026-03-E-1967480
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
05 - पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	सीतापुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	4738000 4738000	4738000 4738000
	योग	वर्तमान प्रगामी	4738000 4738000	4738000 4738000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सैंतालीस लाख अड़तीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सैंतालीस लाख अड़तीस हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव

शुद्धि पत्र
संख्या-RF646/नौ-9-2026

प्रेषक,

रवीन्द्र सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उतरौला, जनपद-बलरामपुर/बिसवां, जनपद-सीतापुर।

नगर विकास अनुभाग- 9 **लखनऊ : दिनांक 21 अप्रैल, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-37 से ब्याज रहित ऋण के रूप में द्वितीय किश्त की धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-02/2026/आर0एफ0-611/नौ-9-2026/02-ई-1967480, दिनांक 13.04.2026 एवं शासनादेश संख्या-01/2026/आर0एफ0-370/नौ-9-2026/01-ई-1967480, दिनांक-13.04.2026 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजनान्तर्गत संबंधित निकायों को द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 13.04.2026 के प्रस्तर-2 (3) में तिथि 31.03.2027 के स्थान पर त्रुटिवश 31.03.2026 अंकित हो गया है। अतः सुसंगत शासनादेश के प्रस्तर- 2 (3) में अंकित तिथि 31.03.2026 के स्थान पर 31.03.2027 पढ़ा एवं समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

20/4

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक:तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, जनपद-बलरामपुर/सीतापुर।
6. कोषाधिकारी, जनपद- बलरामपुर/सीतापुर।
7. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-01, उ0प्र0 शासन।
9. स्टेट पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विभाग।

आज्ञा से,

20/4

(रवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

A.K. SCM Mangal Go